

साम्प्रदायिकता एवं भारतीय राजनीति

सारांश

संविधान द्वारा भारत को एक धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। फिर भी भारतीय राजनीति में धर्म की एक विशेष भूमिका है। हम धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना तो कर पाए हैं, किन्तु धर्मनिरपेक्ष समाज की नहीं। धार्मिक विविधता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव पैदा होते हैं और इन तनावों को बढ़ाने में राजनीतिज्ञ भी भूमिका अदा करते हैं। बी. जी. गोखले जैसे अनेक व्यक्तियों ने आशा व्यक्त की थी कि 'राजनीति से धर्म के अलग हो जाने से हिन्दू और मुसलमानों के पुराने विरोध फिर कभी उत्पन्न नहीं होंगे'।¹

मुख्य शब्द : भारतीय राजनीति, साम्प्रदायिकता

प्रस्तावना

2011 की जनगणना के अनुसार इस देश में हिन्दू (78.35 प्रतिशत), मुस्लिम (14.88 प्रतिशत), ईसाई (2.8 प्रतिशत), सिक्ख (1.91 प्रतिशत), बौद्ध (0.8 प्रतिशत), जैन (0.4 प्रतिशत) पारसी आदि धार्मिक समुदायों के लोग निवास करते हैं। धार्मिक विभिन्नता के कारण समाज में विभिन्न प्रकार के तनाव भी पैदा होते हैं। साम्प्रदायिक वैमनस्य निरतंर विद्यमान रहता है। पिछले 65 वर्षों में गुजरात, बिहार, महाराष्ट्र, उत्तरप्रदेश व आन्ध्रप्रदेश आदि राज्यों में हुई घटनाएं इस बात का सबल प्रमाण है कि साम्प्रदायिक वैमनस्य अभी भी विद्यमान है, जो छोटी-छोटी घटनाओं से भयक उठता है और भारत की राजनीति एवं प्रशासन उससे आक्रान्त हो उठते हैं। राजनीति के द्वारा धर्म एवं सम्प्रदाय का खुल कर प्रयोग हो रहा है।

अध्ययन के उद्देश्य

प्रस्तुत शोध पत्र के निम्नलिखित उद्देश्य हैं :-

1. भारत में राजनीति एवं साम्प्रदायिकता की अन्तः क्रिया की समीक्षा करना।
2. भारत में साम्प्रदायिकता के उदय एवं विकास का विश्लेषण करना।
3. साम्प्रदायिकता के कारणों की व्याख्या करना।
4. देश के विभिन्न भागों में घटित साम्प्रदायिक घटनाओं की समीक्षा करना।
5. भारत के समाज एवं राष्ट्र पर साम्प्रदायिकता के दुष्परिणामों एवं चुनौतियों की समीक्षा करना।
6. साम्प्रदायिकता की समस्या के समाधान हेतु सुझाव प्रस्तुत करना।

अध्ययन काल

प्रस्तुत शोध पत्र में साम्प्रदायिकता की समस्या का उदय ब्रिटिश शासन काल से बताया गया है। राष्ट्रीय आन्दोलन के दौरान साम्प्रदायिकता का विकास होता रहा। भारत को विभाजन झेलना पड़ा। स्वतन्त्रता के पश्चात् लोकतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष सिद्धान्तों पर आधारित संविधान लागू हुआ। स्वतन्त्रता से आज तक असंख्य साम्प्रदायिक घटनाएं हुई हैं। आज भी साम्प्रदायिकता एक विकराल समस्या बनी हुई है। अतः शोध पत्र का अध्ययन काल ब्रिटिश भारत से प्रारम्भ होकर आज तक रहा है।

धर्म और राजनीति में अन्तः क्रिया

महात्मा कबीर ने कहा है —

हिन्दू कहत राम हमारा, मुसलमान रहमाना।

आपस में दोऊ लैर मरतु है, मरम कोई नहीं जाना॥

धर्म और राजनीति दल

स्वतन्त्रता के बाद धर्म और सम्प्रदाय के आधार पर राजनीतिक दलों का गठन हुआ है। मुस्लिम लीग, पिरोमणि अकाली दल, रामराज्य परिषद्, हिन्दू महासभा आदि राजनीतिक दलों के निर्माण में साम्प्रदायिक तत्वों की मुख्य भूमिका रही है। यदि 'साम्प्रदायिकता एक रोग है और वह भी संक्रामक'।²

प्रो. मॉरिस जोन्स ने लिखा है, "यदि साम्प्रदायिकता को 'संकुचित अर्थ में लिया जाए अर्थात् कोई राजनीतिक पार्टी किसी विशेष धार्मिक समुदाय के



सरोज कुमारी

एसोसिएट प्रोफेसर,
राजनीति विज्ञान विभाग,
एस0 एन0 डी0 बी0 राजकीय
स्नातकोत्तर महाविद्यालय,
नोहर, हनुमानगढ़,
राजस्थान

राजनीतिक दावों की रक्षा के लिए बनी हो तो कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो स्पष्ट रूप से अपने को साम्प्रदायिक कहती हैं जैसे मुस्लिम लीग जो भारत में सिर्फ दक्षिण भारत में रह गई है और मालाबार भोपला समुदाय के बल पर केवल केरल में ही शक्तिशाली है, सिक्खों की अकाली पार्टी जो सिर्फ पंजाब में ही है, हिन्दू महासभा जिसका अब कोई प्रभाव क्षेत्र नहीं रहा।³

धर्म और निर्वाचन

भारत में अधिकांश राजनीतिक दल चुनावों में धर्म और सम्प्रदाय की दलीलों के आधार पर वोट मांगते हैं। वोट लेने के लिए मठाधीशों, इमामों पादरियों और साधुओं के साथ साठ – गाठ की जाती है। मतदान के अवसरों पर मत मांगने वाले और मतदान करने वालों के आचरण पर धार्मिक तत्व छाए रहते हैं। मार्च 1977 और फरवरी 1980 के लोकसभा चुनावों के दिनों में दिल्ली की जामा मस्जिद के शाही इमाम की भूमिका के आधार पर आसानी से यह समझा जा सकता है।

प्रदेश स्तर पर भी कई बाबा और धर्म गुरु जनता से एक विशेष राजनीतिक दल के समर्थन की अपील करते देखे गये हैं। वर्तमान भाजपा सरकार में विभिन्न स्तरों पर भाजपा के एम. पी. एवं एम. एल. ए. धार्मिक टिप्पणी कर राजनीति में गर्मी पैदा करते रहते हैं। हाल ही में सम्पन्न गुजरात विधानसभा चुनाव में तथाकथित धर्मनिरपेक्ष छवी वाले राहुल गांधी ने हिन्दू वोटों को प्रभावित करने के लिए मंदिरों के दर्शन किये।

राजनीति और धार्मिक दबाव गुट

धार्मिक संगठन दबाव समूह की भूमिका अदा करते हैं। ये दबाव समूह शासन को प्रभावित करते हैं। उदाहरण के लिए हिन्दुओं की आपत्ति और आलोचना के बावजूद 'हिन्दु कोड बिल' पास कर दिया गया, किन्तु दूसरे सम्प्रदायों के सम्बन्ध में ऐसा नहीं हो सका। Uniform Civil Code आज भी एक सपना है। 1986 में मुस्लिम वर्ग के साम्प्रदायिक दबाव ने 'मुस्लिम महिला संरक्षण कानून' पारित करवाया, जिससे 'शाहबानों विवाद' में सर्वोच्च न्यायालय का प्रगतिशील निर्णय शून्य हो गया।

मंत्रीमण्डल गठन में धर्म का प्रभाव

केन्द्र और राज्यों के मंत्रीमण्डल बनाते समय सदैव प्रमुख सम्प्रदायों का प्रतिनिधित्व दिया जाता है।

धर्म और राष्ट्रीय एकता

धर्म और साम्प्रदायिकता राष्ट्रीय एकता के लिए घातक माने जाते हैं। इसी के कारण देश का विभाजन हुआ और आज भी एक बड़ी चुनौती है।

राज्यों की राजनीति में धर्म की प्रभावक भूमिका

केरल और पंजाब का उदाहरण प्रमुख है। "केरल की राजनीति का ऊपरी आवरण चाहे वामपंथी रंग से रंगा हुआ नजर आए किन्तु उसका अन्तरंग धार्मिक और साम्प्रदायिक गुटों के गठजोड़ से बनता है।"⁴

राज्य की राजनीति में दो प्रकार के दबाव समूह पाए जाते हैं। साम्प्रदायिक और व्यावसायिक। साम्प्रदायिक दबाव समूहों में नययर सर्विस सोसायटी श्री नारायण धर्म परिपालन युगम और अनेक ईसाई संगठन प्रमुख हैं। जमीदार, धनिक वर्ग व्यापारी आदि इन्हीं संगठनों से जुड़े

हुए हैं। पंजाब राज्य की राजनीति भी विशेष महत्व रखती है। पंजाब राज्य की राजनीति अकाली दलों की आन्तरिक राजनीति तथा सशक्त शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबन्धक समिति के निर्वाचनों के इर्द गिर्द धूमती रही है।

साम्प्रदायिकता का अर्थ

साम्प्रदायिकता के अन्तर्गत वे सभी भावनाएं व क्रियाकलाप आ जाते हैं, जिनमें किसी धर्म अथवा भाषा के आधार पर किसी समूह विशेष के हितों पर बल दिया जाए, उन हितों को राष्ट्रीय हितों से भी अधिक प्राथमिकता दी जाए और उस समूह में पृथकता की भावना उत्पन्न की जाए या उसको प्रोत्साहन दिया जाए।

पारसियों, बौद्धों, जैनों तथा ईसाइयों के अपने अपने संगठन हैं साथ ही वे अपने सदस्यों के हितों की साधना में लिप्त रहते हैं। ऐसे संगठन साम्प्रदायिक नहीं हैं क्योंकि वे किसी पृथकता की भावना से प्रेरित नहीं हैं। इसके विपरित मुस्लिम लीग, मुस्लिम मजलिस, हिन्दू महासभा, बजरंग दल तथा अन्य कुछ संगठनों को साम्प्रदायिक कहा जाएगा क्योंकि वे धार्मिक कट्टरता के भाव उत्पन्न करते हैं।

विनसेण्ट स्मिथ "एक साम्प्रदायिक व्यक्ति या व्यक्ति समूह वह हैं जो कि प्रत्येक धार्मिक अथवा भाषाई समूह को एक ऐसी पृथक सामाजिक तथा राजनीतिक इकाई मानता है, जिसके हित अन्य समूहों से पृथक होते हैं और उनके विरोधी भी हो सकते हैं। ऐसे ही व्यक्तियों अथवा व्यक्ति समूह की विचारधारा को साम्प्रदायवाद या साम्प्रदायिकता कहा जाएगा।"

एक सम्प्रदायवादी का दृष्टिकोण समाज विरोधी होता है। उसको समाज विरोधी इसलिए कहा जा सकता है क्योंकि वह अपने समूहों के संकीर्ण हितों को पूरा करने के लिए अन्य समूहों के और सम्पूर्ण देश के भी हितों की अवहेलना करने से पीछे नहीं हटता। साम्प्रदायिक संगठनों का उद्देश्य शासकों के ऊपर दबाव डालकर अपने सदस्यों के लिए अधिक सता प्रतिष्ठा और राजनीतिक अधिकार प्राप्त करना होता है। जब एक समुदाय समझ – बूझकर धार्मिक सांस्कृतिक भेदों के आधार पर राजनीतिक मांगे रखने का निर्णय करता है तब सामुदायिक चेतना सम्प्रदायवाद के रूप में एक राजनीतिक सिद्धान्त बन जाती है।

"बहुसंस्कृतीय समाज में सामाजिक तनाव तथा टकराहट वास्तव में विभिन्न समूहों के बीच चल रहे सता युद्ध के लक्षण हैं इस पारस्परिक युद्ध को सैद्धान्तिक स्तर पर धर्म की शिला पर खड़ा करना एक राजनीतिक विचारधारा के रूप में सम्प्रदायवाद का मूल सार है।"⁵

साम्प्रदायिकता का उदय एवं विकास

भारत में साम्प्रदायिकता की समस्या ब्रिटिश शासन की समकालिक है। अंग्रेजों ने भारत में 'फूट डालो और शासन करो' की नीति अपनाई ताकि वे हिन्दुओं और मुसलमानों को लड़ाते रहे और भारत पर हुकूमत चलाते रहे। भारत में ब्रिटिश साम्राज्यवाद के निर्माण एवं विकास में जितना अंग्रेजों की कूटनीतिक चाल का हाथ रहा उतना ही हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच राजनीतिक संघर्षों का भी। वास्तव में समस्या यह थी कि भारत में बसने वाले विभिन्न वर्ग – हिन्दु, मुस्लिम, सिक्ख और

ईसाई आदि के राजनीतिक सत्ता में हिस्सा लेने की मांग को कैसे सन्तुलित किया जाए ? भारतीय राजनीति में ब्रिटिश सरकार कांग्रेस तथा लीग का एक त्रिभुज बन गया जिसने साम्प्रदायिकता को आधार बनाकर नए — नए गुल खिलाए। मेहता और पटवर्द्धन के शब्दों में “अंग्रेजी शासकों ने अपने आपको हिन्दू और मुसलमानों के मध्य खड़ा करके ऐसे साम्प्रदायिक त्रिभुज की रचना का निश्चय किया जिसके आधार बिन्दू वे स्वयं रहे।”

भारत में साम्प्रदायिकता विभिन्न धर्मों के निहित स्वार्थों के पारस्परिक संघर्ष की ही छद्म अभिव्यक्ति थी। इन निहित स्वार्थों ने अपने इस संघर्ष को साम्प्रदायिक जामा पहना रखा था। विभिन्न सम्प्रदायों के पेशेवर वर्गों की पदों और स्थानों की लड़ाई भी इसी छद्म रूप में लड़ी जाती रही।

प्लासी के युद्ध के पश्चात् जब कम्पनी के हाथ में शासन सत्ता आने लगी तो उसने मुसलमानों के प्रति सौतेला व्यवहार किया और हिन्दुओं को नौकरियों में प्रोत्साहन देकर मुसलमानों के प्रति उपेक्षा की नीति अपनाई। ‘बहाबी आन्दोलन’ के रूप में मुस्लिम असन्तोष व्यक्त हुआ। सन् 1857 की क्रान्ति में हिन्दुओं और मुसलमानों ने मिलकर अंग्रेजों का विरोध किया लेकिन अंग्रेज इसे मुस्लिम विद्रोह मानते थे। अतः इन्होंने मुसलमानों के दमन की नीति अपनाई। कुछ समय बाद हिन्दुओं के विकास और उन्नति से अंग्रेज हिन्दुओं से डरने लगे। अब उन्होंने मुसलमानों से मित्रता की चातुर्यपूर्ण नीति अपनाई। 1893 ई. में मोहम्मदन एंग्लो ओरियण्टल डिफेन्स ऐसोसिएशन की स्थापना हुई। मुसलमानों को खुश करने के लिए 1905 में कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया। 1906 में ढाका में आल इण्डिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1909 के मॉर्ल मिन्टो सुधारों में साम्प्रदायिक आधार पर पृथक चुनावों की व्यवस्था का समावेश कर दिया गया। 1919 के एकट में साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति को न केवल मुसलमानों के लिए कायम रखा गया वरन् सिक्खों, यूरापियनों और अंग्रेज भारतीय समुदायों के लिए भी इसे अपना लिया गया।

1935 के अधिनियम द्वारा साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का विस्तार किया गया। सन् 1940 में जिन्ना ने ‘द्विराष्ट्र सिद्धान्त’ का प्रतिपादन किया और अन्त में 1947 में साम्प्रदायिकता के आधार पर भारत का विभाजन हुआ। देश की प्रमुख साम्प्रदायिक घटनाओं की चर्चा की जा सकती है :—

सिक्ख विरोधी दंगे, 1984

31 अक्टूबर 1984 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद प्रारम्भ हुए। ये दंगे कई दिन चले तथा लगभग 800 सिक्खों की हत्या कर दी गई। भारत की राजधानी दिल्ली और यमुना नदी के आसपास के इलाके इन दंगों से बुरी तरह से प्रभावित हुए थे।

कश्मीर दंगे, 1986

इन साम्प्रदायिक दंगों की शुरुआत कश्मीर में अनंतनाग में 1986 में हुई थी। यह दंगे वहां के रहने वाले मुस्लिम कट्टरपंथी द्वारा हिन्दुओं को कश्मीर से बाहर निकालने के लिए किए गए थे। इन दंगों में 1000 से भी

ज्यादा लोगों की जाने गयी थी और कई हजार हिन्दू बेघर हो गये थे।

वाराणसी दंगे, 1989

हिन्दुओं के इस पवित्र शहर में क्रमवार 1989, 1990 और 1992 में भयंकर दंगे हुए थे। ये दंगे हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय के बीच हुए थे। वाराणसी में पहला दंगा 1989 में हिन्दू और मुसलमानों के बीच हुआ, जिसमें बहुत से लोगों ने अपनी जान गंवाई थी।

भागलपुर दंगे, 1989

यह दंगे अक्टूबर 1989 को भागलपुर में हुए थे। इन दंगों में 1000 से भी ज्यादा निर्दोष लोगों ने अपनी जाने गंवाई थी। ये हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय के लोगों के बीच हुए थे।

मुम्बई दंगे, 1992

ये भारत के भीषण दंगों में से थे। इनकी शुरुआत दिसम्बर 1992 में हुई एवं जनवरी 1993 तक चले। ये हिन्दू मुस्लिम दंगे थे, 1000 से भी ज्यादा लोग मरे। इसका मुख्य कारण बाबरी मस्जिद को तोड़ा जाना था। 1993 में इसी वजह से सीरियल बम धमाके भी किये गये थे।

गुजरात दंगे, 2002

यह दंगे भारत के इतिहास में होने वाले सबसे भयंकर दंगों में से थे जो गुजरात में 2002 में हुए थे। इन दंगों की शुरुआत तब हुई जब साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन को गुजरात के गोधारा में आग लगा दी गयी थी, जिसमें 59 से ज्यादा हिन्दू तीर्थ यात्री मारे गये थे। इसके बाद हिन्दू मुस्लिम दंगे भड़के जिसमें 2000 से ज्यादा लोगों की जाने गयी थी।

अलीगढ़ दंगे, 2006

अलीगढ़ शहर को उत्तर प्रदेश का साम्प्रदायिक दंगों से ग्रस्त शहर कहा जाता है। यहां 5 अप्रैल 2006 को हिन्दू और मुसलमानों के बीच बहुत हिंसक दंगे हुए थे। यह दंगे रामनवमी को हुए थे, 6-7 लोगों की मौत हो गई थी।

देगंगा दंगे, 2010

यह दंगे पश्चिम बंगाल में देगंगा शहर में 6 सितम्बर 2010 को हुए थे। मुसलमानों की भीड़ ने हिन्दुओं पर हमला कर दिया था। हिन्दू मंदिर तोड़ दिये थे, हिन्दू मंदिर लूट लिए थे। 2007 में भी ऐसी घटनाएं हुई थी।

असम दंगे

जुलाई 2012 को भारतीय बोडोस और बांग्लादेश से भारत आ रहे मुसलमानों के बीच हुए थे। दंगों में 80 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई थी। इसमें 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो गये थे, जिन्होंने अभी तक राहत शिविरों में शरण ली हुई है।

साम्प्रदायिकता के कारण

भारत में साम्प्रदायिकता के प्रमुख कारण इस प्रकार से हैं :—

मुसलमानों में पृथक्करण की भावना

मुसलमानों के एक भाग में पृथक्करण की भावना आज भी विद्यमान है और वे स्वयं को राष्ट्रीय धारा में शामिल नहीं कर पाए। अनेक मुस्लिम नेताओं ने स्वाधीनता के बाद इस बात का प्रचार किया कि उन्हें

मुख्य राष्ट्रीय प्रवाह में शामिल होने के लिए ऐसे राजनीतिक दलों को सहयोग देना चाहिए जिनका विश्वास धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद तथा आर्थिक न्याय में है, परन्तु इन विचारों का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा और अनेक मुस्लिम सम्प्रदाय के हितों की सुरक्षा के लिए उन्हें राजनीति में एक पृथक इकाई के रूप में भाग लेना चाहिए। 'जमायत-ए-इस्लाम' ने मुसलमानों को सलाह दी कि उन्हें आम चुनावों में भाग नहीं लेना चाहिए। ऐसे ही एक दूसरे संगठन 'जमीयत-उल-उलेमा-ए-हिन्द' ने भी मुसलमानों को राष्ट्रीय राजनीति से पृथक रहने की सलाह दी। 1961 में 'अखिल भारतीय मुस्लिम लीग' की स्थापना की गई और यह प्रचार किया गया कि भारत में मुस्लिम लीग ही मुस्लिम हितों का संरक्षण कर सकती है।

मुसलमानों का आर्थिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़ापन

यह बात सच है कि अंग्रेजी काल से ही मुसलमान आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं। स्वाधीनता के बाद भी उनकी आर्थिक स्थिति सुदूर नहीं हो पाई थी। आज भी उनका आधुनिकीकरण नहीं हो पाया है। इससे उनमें असन्तोष बढ़ा है और उनका मनोबल भी गिरा है। कभी — कभी यह असन्तोष उग्र रूप ले लेता है और कभी — कभी यह असन्तोष हिंसा के रूप में प्रकट हो जाता है। मुस्लिम वर्ग की राजनीति करने वाले दलों एवं संगठनों ने उन्हें पृथक कानून और बाबरी मस्जिद जैसे गैर जरूरी मुद्दों में उलझाकर रखा है, जिससे ये वर्ग ओर पिछड़ता जा रहा है।

विदेशी शङ्क्यन्त्र

भारत में होने वाली छुट पुट हिन्दू मुस्लिम घटनाओं को पाकिस्तानी रेडियो और समाचार पत्र राजनीतिक तूल देने का प्रयास करते हैं। ऐसी घटनाओं को हिन्दुओं द्वारा मुसलमानों का जातिवध कहकर पुकारा जाता है। भारत में गरीब और अशिक्षित मुसलमान भी पाकिस्तान को अपना हितैशी मान बैठते हैं। 1981-93 के वर्षों में पंजाब में हस्तपेक्ष कर हिन्दू-सिक्ख विद्वेष उत्पन्न किया। 1990 के बाद तो पाकिस्तान ने प्रचार की स्थिति से बहुत आगे बढ़कर भारत में साम्प्रदायिक आधार पर गृह युद्ध खड़ा करने के लिए आपराधिक शङ्क्यन्त्रों की स्थिति को अपनाया है।

12 मार्च 1993 को पूरे मुम्बई में सीरियल धमाके हुए। इनमें 257 लोग मारे गये। 1 अक्टूबर 2001 को जैश ए मोहम्मद ने जम्मू कश्मीर विधानसभा पर हमला किया इसमें 38 लोग मारे गए। 13 दिसंबर 2001 को लश्करे तैयबा और जैश मोहम्मद में 5 आंतकवादी ने भारतीय संसद पर हमला किया। 24 सितम्बर 2002 को लश्कर और जैश ए मोहम्मद के आंतकियों ने अक्षर धाम मंदिर पर हमला किया। इसमें 31 लोग मरे। 29 अक्टूबर 2005 में दीवाली से 2 दिन पहले आंतकियों ने सीरियल बम ब्लास्ट किये जिसमें 63 लोग मारे गए। 26.11.2008 को पाकिस्तान से आए 10 आत्मघाती हमलावरों ने मुम्बई के नरीमन हाउस, होटल ताज और होटल ऑबेराय पर हमला किया जिसमें लगभग 180 लोग मारे गए। 2 जनवरी 2015 को पठानकोट एयरबेस पर हमला किया। कई लोग घायल तथा 7 जवान शहीद हो गये।

संकुचित हिन्दू राष्ट्रवाद

हिन्दू धर्म मूलतः उदारता और सहिष्णुता प्रधान रहा है। लेकिन मुस्लिम साम्प्रदायिकता की प्रतिक्रिया और चुनावी राजनीति ने संकुचित हिन्दू राष्ट्रवाद को उत्पन्न करने का प्रयास किया है। इसलिए कुछ तत्वों द्वारा कहा जाने लगा कि भारत हिन्दुओं का देश है। इस भावना को विश्व हिन्दू परिषद, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, हिन्दू महासभा आदि संगठनों ने विकसित करने का प्रयास किया है। यह संकुचित हिन्दू राष्ट्रवाद हिन्दुत्व की मूल धारा नहीं है।

सरकार की उदासीनता

सरकार और प्रशासन की उदासीनता के कारण भी कभी — कभी साम्प्रदायिक दंगे हो जाते हैं। छोटी सी घटना, प्रशासनिक लापरवाही के कारण बड़े साम्प्रदायिक दंगों का रूप ले लेती हैं। जून 1984 में महाराष्ट्र के भिवाड़ी और मुम्बई के साम्प्रदायिक दंगे, 1984 के हिन्दू-सिक्ख दंगे, जुलाई 1987 में मेरठ में साम्प्रदायिक दंगे, 1993 में मुम्बई और अन्य क्षेत्रों में साम्प्रदायिक उपद्रव आदि का प्रमुख कारण प्रशासनिक अक्षमता रहा है। मार्च — अप्रैल 2002 में अहमदाबाद और गुजरात के अन्य स्थानों पर साम्प्रदायिक विद्वेष का कारण प्रशासनिक उदासीनता रहा है। 2013 में यूपी के मुजफ्फरनगर के दंगों का उग्र रूप लेने का कारण भी प्रशासनिक अक्षमता रहा है।

दलीय और चुनावी राजनीति

स्वतंत्र भारत में साम्प्रदायिकता का सबसे बड़ा कारण दलीय और चुनावी राजनीति है। "भारत में विभिन्न राजनीतिक दल और गुट चुनावी राजनीति को दृष्टि में रखते हुए न केवल साम्प्रदायिकता को स्वीकार करते वरन् उसे उभारने का कार्य भी करते हैं। 1950 से लेकर अब तब जो साम्प्रदायिक दंगे हुए, उनमें से अनेक का परोक्ष कारण दलीय राजनीति, गुटीय राजनीति और चुनाव राजनीति रहा है।"

वरिष्ठतम पत्रकार निखिल चक्रवर्ती, "सभी दंगों का मूल कारण राजनीतिक होता है और ये दंगे सभी अपने स्वार्थों के लिए राजनीतिज्ञों द्वारा करवाये जाते हैं।"

मंदिर मस्जिद विवाद

आज के समय में साम्प्रदायिकता का एक बड़ा कारण और परिणाम मन्दिर मस्जिद विवाद के रूप में सामने आया है। इस विवाद ने 1992-93 के वर्षों में सम्पूर्ण देश में तनाव की स्थिति उत्पन्न कर दी। आज भी यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचारित है। विभिन्न राजनीतिक दलों एवं गुटों के नेताओं द्वारा इस विवाद पर बयानबाजी कई बार माहौल को तनावपूर्ण कर देती है।

साम्प्रदायिकता के दुष्परिणाम

आपसी द्वेष

साम्प्रदायिकता से विभिन्न वर्गों में आपसी द्वेष को बढ़ावा मिलता है। जब हिन्दू और मुसलमान अपने अपने हितों के लिए एक दूसरे से लड़ते हैं तो आपस में द्वेष एवं वैमनस्य हो जाना स्वाभाविक है। यही द्वेष हिंसा का कारण बनता है।

आर्थिक हानि

आर्थिक हानि होती है। कितनी ही दूकानें लूटी और जलाई जाती है। राष्ट्रीय सम्पत्ति नष्ट होती है। रोजगार छिन जाता है। 1984 के हिन्दू सिक्ख दंगे, 1985-86 के गुजरात दंगे, फरवरी मार्च 2002 ई. के गुजरात दंगों में करोड़ों रुपयों की सम्पत्ति नष्ट हुई।

प्राण हानि

शायद ही कोई दंगा हुआ हो जिसमें कुछ व्यक्तियों की जाने न गई हैं। रांची, श्रीनगर, वाराणसी, अलीगढ़, भिवाड़ी, हैदराबाद, मेरठ और मुम्बई आदि के साम्प्रदायिक दंगों का उदाहरण सामने हैं। लाखों लोग अब तक मारे जा चुके हैं।

राजनीतिक अस्थिरता

साम्प्रदायिकता देश में राजनीतिक अस्थिरता और सांवेधानिक संकट उत्पन्न कर देती है।

राष्ट्रीय एकता में बाधा

यह राष्ट्रीय एकता के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है। देश का विभाजन इसी के कारण हुआ, आज भी विघटनकारी गतिविधियां जारी हैं।

साम्प्रदायिकता को दूर करने के सुझाव

साम्प्रदायिकता भारत के लिए एक अभिशाप है। इसे दूर करने के लिए कुछ सुझाव इस प्रकार से हैं :—

1. सरकार द्वारा सदा ध्यान रखा जाना चाहिए कि उसके द्वारा ऐसा कोई भी कार्य न हो पाये, जिसके द्वारा साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है।
2. सब धर्मों के लोग मिलजुलकर सर्व धर्म प्रार्थना करें। इन सर्व धर्म प्रार्थनाओं में साम्प्रदायिकता के विरोध का वातावरण बनाया जाये।
3. शिक्षा में नैतिक मुल्यों का समावेष किया जाये।
4. अल्पसंख्यकों में सुरक्षा और विष्वास का माहौल पैदा करने का प्रयास समाज और राज्य द्वारा किया जाये।
5. सरकार को सदैव ही इस प्रकार के कानूनों का निर्माण करना चाहिए कि हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू हो और जाति, लिंग, धर्म, भाषा एवं सम्प्रदाय सम्बन्धी भेदभाव नहीं होना चाहिए।
6. समाज के किसी भी सम्प्रदाय को विशेष प्रतिनिधित्व नहीं देना चाहिए, इससे साम्प्रदायिकता को प्रोत्साहन मिलता है।
7. समाज के प्रत्येक वर्ग को शिक्षित और जागरूक किया जाये ताकि वे धर्म का वास्तविक अर्थ पहचान सके और लोगों के हाथ का औजार न बने।
8. भाषा के सम्बन्ध में भी स्पष्ट नीति अपनानी चाहिए, यह भी साम्प्रदायिकता का एक कारण रहा है।

9. साम्प्रदायिकता का प्रमुख कारण चुनावी राजनीति है। आवश्यकता है कि राजनीतिक दल व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं और चुनावी राजनीति के एक साधन के रूप में साम्प्रदायिक दृष्टिकोण न अपनाया जाये। वोट बैंक की राजनीति से मुक्ति प्राप्त करने पर ही साम्प्रदायिकता को नियंत्रित कर पाना सम्भव है।
10. पुलिस और प्रशासन पर अनुचित राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए ताकि वह दंगा ग्रस्त क्षेत्रों में निष्पक्ष होकर कार्य कर सके।

हमें गर्व है कि हमारे देश में अनेक धर्मों को मानने वाले लोग बसते हैं। नए भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया। धर्म का प्रभाव भारतीय जनता के मस्तिष्क से नहीं मिटा है और आज भी राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र में धर्म के आधार पर भेदभाव किया जाता है। कुछ सम्प्रदायों को वोट बैंक के रूप में देखा जाने लगा है। जिससे उनका आर्थिक और सामाजिक विकास नहीं हो पाया है। बार-बार होने वाले साम्प्रदायिक दंगों से देश की धर्म निरपेक्ष और लोकतांत्रिक छवि धूमिल होती है।

भारतीय राजनीति में धर्म और साम्प्रदायिकता का प्रभाव बढ़ने से धर्म निरपेक्ष राजनीति के विकास का मार्ग अवरुद्ध हुआ है। साम्प्रदायिक राजनीति का मुख्य ध्येय संकुचित हितों की रक्षा करना होता है। यह दायित्व राष्ट्रीय नेताओं का है कि वे समुदाय के सीमित तथा राष्ट्र के वृहत्तर हितों के बीच संतुलन स्थापित करें, समुदाय के प्रति भक्ति को राष्ट्र के प्रति भक्ति में बदलें। हम आशा करते हैं कि जनता में जागरूकता के प्रसार एवं लोकतांत्रिक मुल्यों के विकास के साथ धर्मनिरपेक्षता का स्वरूप भी निखरता जाएगा।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. B.G. Gokhle *The making of the Indian Nation, P-243.*
2. रामधारी सिंह दिनकर, संस्कृति के चार अध्याय, पृ. 638
3. मॉरिस जोन्स, भारतीय शासन पद्धति (अनुवाद) पृ. 190
4. दिनमान 16-22 दिसम्बर, 1979 पृ. 22
5. प्रभा दीक्षित साम्प्रदायिकता का ऐतिहासिक सन्दर्भ, मैकमिलन 1980
6. भारतीय राज व्यवस्था साहित्य भवन पब्लिकेशन्स आगरा, डॉ. पुखराज जैन, 2013
7. *The Times of India*, 8 June, 1991